



प्रेस नोट



दिनांक 24.08.2019 थाना सदर जनपद आगरा।

थाना सदर पुलिस व सिटी क्राइम ब्रान्च टीम ने चैकिंग अभियान के दौरान नकली शराब बनाने वाले तीन शातिर शराब तस्करों को किया गिरफ्तार तथा भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब एव बनाने के अन्य उपकरण एवं एक अदद बुलैरो कार बरामद

जनपद में अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिए गए आदेश/निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर आगरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सदर व प्रभारी सिटी एसओजी द्वारा टीम गठित की गयी।

इसी क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 24.08.2019 समय 08.00 बजे को आशियाना रेजीडेन्सी कालौनी 200 मीटर मोड चौकी क्षेत्र वुन्दूकटरा के पास चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अभियान के दौरान मुखविर की सूचना पर नकली शराब बनाने एवं तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 552 बोतल **IMPACT GRAIN WHISKY** अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा प्रान्त, मैक डबल के 50 अदद पब्बा बनावटी उ0प्र0, 70 पब्बा बनावटी रॉयलस्टेग (कुल 436 लीटर शराब) व एक अदद बुलेरो गाडी बनावटी नम्बर प्लेट व एक रोल कूट रचित रैपर उ0प्र0 लोगो लगा हुआ। कूटरचित ढक्कन करीब 600, एक अदद चाय छलनी एक अदद फूल, एक अदद बाल्टी, एक अदद मग्गा 150 खाली बोतल **IMPACT GRAIN WHISKY** वरामद की गयी। उक्त बरामदगी के सम्बंध में थाना सदर जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 504 / 2019 धारा 60 / 63 / 72 आवकारी अधि0 व 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बंध में जनपद आगरा व अन्य जनपदों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. धर्मेन्द्र उर्फ टिकू पुत्र कंचनसिंह निवासी हज्जूपुरा थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
02. दीपक पुत्र शमशेरसिंह जाट निवासी मुरादपुरा टेकना थाना महम जनपद रोहतक हरियाणा।
03. धर्मवीर उर्फ दिनेश पुत्र दयानन्द निवासी मुरादपुरा टेकना थाना महम जनपद रोहतक हरियाणा।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

| क्रं.सं. | मु.अं.सं. | धारा | थाना / जनपद |
|----------|------------|--|-------------|
| 01. | 504 / 2019 | धारा 60 / 63 / 72 आवकारी अधि0 व 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 | सदर / आगरा |

● बरामदगी का विवरण :-

01. 552 बोतल **IMPACT GRAIN WHISKY** अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा प्रान्त
02. बनावटी मैक डबल के 50 अदद पब्बा उ0प्र0,
03. बनावटी 70 पब्बा रॉयलस्टेग (कुल 436 लीटर शराब) एक अदद बुलेरो गाडी फर्जी नम्बर प्लेट व एक रोल कूट रचित रैपर उ0प्र0 लोगो,
04. कूटरचित ढक्कन करीब 600, एक अदद चाय छलनी एक अदद फूल, एक अदद बाल्टी, एक अदद मग्गा एवं एक बुलैरो कार फर्जी नम्बर के साथ।
05. 150 खाली बोतल **IMPACT GRAIN WHISKY**

● बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह थाना सदरबाजार जनपद आगरा।
02. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिटी क्राइम ब्रान्च जनपद आगरा।
03. उ0नि0 संजय शर्मा थाना सदरबाजार जनपद आगरा।
04. उ0नि0 मुकेश रावत थाना सदरबाजार जनपद आगरा।
05. है0का0 902 लालसहाय, कां0 3132 सुधीर कुमार, कां0 542 सोनवीर, कां0 2496 आलोक, कां0 2239 राजकिशोर, थाना सदरबाजार जनपद आगरा।
06. का0 1310 तहसीन, कां0 1338 रविन्द्र कुमार, कां0 17 अमित चौहान, कां0 668 आशुतोष त्रिपाठी, चालक औसान सिंह सिटी क्राइम ब्रान्च जनपद आगरा।





दीपक पुत्र शमशेर सिंह जाट नि०
ग्राम मुरादपुर टेकना थाना महम
जि० रोहतक हरियाणा सम्बंधित
मु०अ०स० 707/19 धारा
60/63/72 अबकारी
अधिनियम ब
420/467/468/471
आईपीसी गि० 24/8/19



धर्मेन्द्र उर्फ टिकू पुत्र बंशधन सिंह
ठाकुर नि० हज्जुपुरा थाना
इरादतनगर आगरा उम्र 28 वर्ष
सम्बंधित मु०अ०स० 706/19
धारा 60/63/72 अबकारी
अधिनियम ब
420/467/468/471
आईपीसी गि० 24/7/19

मीडिया सेल आगरा पुलिस।